1. प्रस्तारवना/ Preliminary

- इन नियमों को   केंद्रीय सिविल सेवाएं (कार्यग्रहण अवधि) 1979 कहा जाता है और ये दिनांक 08.05.1979 से प्रभावी होंगे

  These rules may be called the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, came into force w.e.f. 08.05.1979.

- ये नियम वर्कचार्ज्ड0 कमचारियों को शामिल करते हुए सिविल सेवाओं में नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों तथा केंद्र सरकार के सभी पदों पर लागू होंगे

  These rules shall apply to all Government servants appointed in Civil Services and posts under the Central Government including work-charged staff

- निम्न पर लागू नहीं होंगे : रेल्वे0 कर्मचारी, रक्षा सेवा बजट से भुगतान पाने वाले सशस्त्रय बल, अनुबंध पर कार्यरत तथा आकस्मिक व्यनय से भुगतान पाने वाले व्यeक्ति

  Does not apply to: Railway employees, Armed Forces paid from the Defence Services Estimates, engaged on contract, those paid out of contingencies etc.

2. परिभाषाएं / Definitions

- विभाग प्रमुख से तात्प,र्य ऐसी प्राधिकारी से है जिसे वित्तीcय शक्तियों के प्रत्यानयोजन नियम 1978 के अन्तार्गत घोषित किया गया हो

  "Head of Department" means the authority declared under the Delegation of Financial Powers Rules, 1978.

- कार्यग्रहण अवधि से तात्प र्य है ऐसे समय से है जो सरकारी कर्मचारी को नए पद पर नियुक्त होने के लिए या ऐसे स्थाि‍न पर जाने के लिए जहां उसकी तैनाती की गई हो, दिया जाता है

  “Joining Time" means time allowed to a Government servant in which to join a new post or to travel to a station to which he is posted.

- स्था नांतरण से तात्पnर्य नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए या मुख्या‍ालय परिवर्तन के कारण सरकारी कर्मचारी द्वारा एक पद से दूसरे पद पर संचलन से है

  "Transfer" means the movement of a Government Servant from one post to another to take up duties of a new post or in consequences of change of his headquarters.

3. कार्यग्रहण अवधि / Joining Time

- लोकहित में स्थाअनांतरण के कारण सरकारी कर्मचारी को कार्यग्रहण अवधि दिया जाता है ताकि वह नए स्थाहन पर या उसी स्थारन पर नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया जाता है ।

Joining time shall be granted to a Government servant on transfer in public interest to enable him to join the new post either at the same or a new station.

- 180 दिनों से कम समय के लिए अस्थाrई तौर पर स्था नांतरण हेतु कार्यग्रहण अवधि नहीं दिया जाता। केवल यात्रा हेतु वास्तेविक समय दिया जाता है

  No joining time is admissible in cases of temporary transfer for a period not exceeding 180 days. Only the actual transit time is allowed.

- एक पद से दुसरे पद पर स्था नांतरिक अधिशेष कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि के लिए हकदार है

  The surplus staff transferred from one post to another shall be eligible for joining time.

- स्थाtपना में घटौती के कारण एक केंद्र सरकार कार्यालय से दुसरे में उनमुक्तi कर्मचारी कार्यग्रहण समय के हकदार है । तथापि सेवा में व्येवधान को कार्यग्रहण अवधि के रुप में बदला जा सकता है बशर्ते व्यावधान 30 दिनों से अधिक न हो तथा उनमुक्त होने की दिनांक को सरकारी कर्मचारी ने कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा की हो

  Government servants who are discharged due to reduction of establishment from one Central Government office to another, is entitled to joining time. However, the period of break may be converted into joining time provided that the break does not exceed 30 days and the Government servant has rendered not less than 3 years continuous service on the date of his discharge.

- कार्यग्रहण अवधि का प्रारंभ होगा / The joining time shall commence from

  i. यदि कार्यभार पूवाह्न में त्याtगा हो तो पूराने पद पर कार्यभार त्याrगने की दिनांक से
     the date of relinquishment of charge of the old post if the charge is made over in the forenoon

  ii. यदि कार्यभा अपराह्न में त्या गा हो तो अगली दिनांक से
     from next date if the charge is made over in the afternoon.

4. उसी स्थाdन पर या एक स्थाeन से दुसरे स्थाकन पर स्थाdनांतरण जिसमें निवास परिवर्तन नहीं होता हो तो एक दिन की कार्यभार अवधि प्रदान की जाती है

Not more than one day's joining time shall be allowed to a Government servant to join a new post within the same station or which does not involve a change of residence from one station to another.

5. यदि एक स्था न से दुसरे स्थाnन पर स्थाsनांतरण जिसमें निवास परिवर्तन अनिवार्य हो तो सरकारी कर्मचारी को निम्नथ सारणी के अनुसार कार्यभार अवधि प्रदान की जाएगी

In cases involving transfer from one station to another and also involving change of residence, the Government servant shall be allowed joining time as indicated in the following schedule.

पूराने एवं नए मुख्‍यालय के बीच दूरी Distance between the old headquarters and the new headquarters	अनुमत्‍य कार्यभार अवधि Joining Time admissible	यदि स्थानांतरण के कारण लगातार 200 किलोमीटर सडक से यात्रा करना आवश्य क हो तो पात्र कार्यग्रहण अवधि / Joining Time where the transfer involves continuous travel by road for more than 200 kms.
1,000 km or less	10 days	12 days
More than 1,000 km	12 days	15 days
More than 2,000 km	15 days except in cases of travel **by air** for which the maximum will be **12 days**.	15 days

नोट - दूरी से तात्पर्य वास्तविक दूरी न कि रेल्वे द्वारा कुछेक घाट/पहाडियों पर प्रभारित माइलेज के लिए लिया जाने वाला किराया।

NOTE - Distance means actual distance and not weighted mileage for which fare is charged by the Railways in certain ghat/hill sections.

- अगर कार्यग्रहण अवधि के उपरान्त अवकाश आते हो तो ऐसी दशा में यह मान लिया जाएगा कि अवकाशों को समावेसित करने के लिए सामान्यन कार्यग्रहण अवधि विस्तार हो गया है
  When holiday(s) follow(s) joining time, the normal joining time may be deemed to have been extended to cover such holiday(s).
- विभाग प्रमुख द्वारा अधिकतम 30 दिनों तक कार्यग्रहण अवधि का विस्ता र किया जा सकता है और 30 दिनों से अधिक हेतु भारत सरकार के विभाग द्वारा विस्तार किया जा सकता है
  Extension of joining time up to the maximum of 30 days can be granted by the Head of Department and beyond 30 days by the Department of the Government of India.
- मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कार्यग्रहण अवधि का कुल समय में लगभग 8 दिन तैयारी हेतु तथा उपयुक्त यात्रा का समय एवं कार्यग्रहण अवधि को विस्तायरित करते हुए अवकाश यदि कोई हो तो
  Guiding principle being that the total period of joining time should be approximately equal to 8 days for preparation *plus* reasonable transit time *plus* holidays, if any, following the extended joining time.

6. यदि सरकारी कर्मचारी निम्नhलिखित कारणों से पात्र कार्यग्रहण अवधि का उपयोग किए बगैर नया पद ग्रहण करता है तो उसके अर्जित खाते में कार्यग्रहण अवधि में से प्रयुक्तर कार्यग्रहण अवधि को घटाने के बाद शेष दिन (अधिकतम 15 दिन) जमा किया जा सकता है :-

the number of days of joining time subject to a maximum of 15 days reduced by the number of days of joining time actually availed of shall be credited to his leave account as Earned Leave, when a Government servant joins a new post without availing full joining time by reasons that :-

- यदि कर्मचारी को पूरी कार्यग्रहण अवधि का ऊपयोग किए बगैर ही नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया हो

  he is ordered to join the new post without availing of full joining time

- वह अकेले ही निकलकर नए पद पर कार्यग्रहण अवधि का प्रयोग किए बगैर ही कार्यभार ग्रहण करता है तथा यात्रा भत्तेए का दावा प्रस्तु त करने की समयावधि के भीतर ही अपने परिवार को ले जाता हो

  he proceeds alone to the new post and joins the post without availing full joining time and takes his family later within the permissible period of time for claiming Travelling Allowance for the family;

  नोट : बशर्ते अप्रयुक्त कार्यग्रहण अवधि को शामिल करने के बाद छुट्टीयों की संख्याल 300 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए

  NOTE: Provided that the earned leave at his credit together with the unavailed joining time allowed to be so credited shall **not exceed 300 days**.

- कार्यग्रहण अवधि को आकस्मिक छुट्टी को छोडकर किसी भी प्रकार की अथवा किसी भी अवधि की नियमित छुट्टी के साथ जोडा जा सकता है

  Joining time may be combined with regular leave of any kind or duration except casual leave.

- यदि सरकारी कर्मचारी को स्थाeनांतरण पर यात्रा के दौरान ही किसी अन्यe नए स्था ान पर जाने का आदेश दिया जाता है तो वह संशोधित आदेश प्राप्तर होने की दिनांक तक ली गई कार्यग्रहण अवधि तथा संशोधित आदेश प्राप्त् होने की दिनांक के बाद की अगली दिनांक से पूरी नवीन कार्यभार ग्रहण अवसधि का पात्र होगा।

  If a Government servant in transit on transfer is directed to proceed to a new place, he shall be entitled to joining time already availed of up to the date of

receipt of revised orders **plus** fresh spell of full joining time from the date following the date of receipt of the revised orders.

7. **कार्यग्रहण अवधि वेतन / Joining Time pay**

कार्यग्रहण अवधि पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि वेतन का पात्र होगा जो कि उसके द्वारा पूराने पद पर प्रभार छोडने के दिनांक के वेतन तथा भत्तें् के बराबर होगा। वह वाहन भत्तेा या स्थारई यात्रा भत्तेर का पात्र नहीं होगा

A Government servant on joining time shall be entitled to be paid joining time pay **equal to the pay which was drawn before relinquishment of charge in the old post plus allowances.** He shall **not be allowed Conveyance Allowance or permanent Travelling Allowance.**